न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 63/2002
1—पूरन सिंह पुत्र रामसिंह जाति गूजर निवासी जुरहरा तहसील कामां

वादी

बनाम

1—कैलाश पुत्र हीरानाथ
2—सुनील
3—जिलेसिंह पिसरान रामजीलाल
4—रामवती पत्नि रामजीलाल
5—सावित्री
6—सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल
7—रूपकिशोर
8—देवेन्द्र पिसरान गिरधारी
9—केशवचन्द रघुनाथ
10—टिकू पुत्र तुल्लाराम
11—मुकेश पुत्र तुल्लाराम
12—सुरेश पुत्र तुल्ला
13—सुनीता पुत्री तुल्लाराम
14—लीलादेवी पत्नि तुल्लाराम
15—खिल्लू पुत्र जवाहरीनाथ जातियान जोगी निवासीयान कस्बा जुरहरा तहसील कामां

असल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण
1—वासुदेव अधिवक्ता

दावा डिकलेरेषन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 31.07.2023

वादी के अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी आराजी मुतदाविया के खसरा नम्बर 355/0.12, हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा तहसील कामां में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 355/0.12, हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय के पूर्व में दो नम्बर थे 2256/0.16, 2259/0.12जो दोनों खसरा नम्बर प्रतिवादी के बुजुगान की थी । जगन्नाथ पुत्र भुपतनाथ फौत हो गया है जिसके एक पुत्र गिरधारी पुत्र जगन्नाथ था वह भी फौत हो चुका है । उसके मात्र दो वारिसन रूपकिशोर, देवेन्द्र पिसरान गिरधारी है । रामजीलाल भी फौत हो चुका है । जिसके वारिसान सुनील जिलेसिंह पिसरान रामजीलाल व रामवती बेवा रामजीलाल, सावित्री सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल है । केदारनाथ पुत्र भुपतनाथ जो लाबल्द बिला औरत फौत हुआ उसके वारिसन भी रूपकिशोर देबेन्द्र पिसरान गिरधारी है । ताराचन्द एवं शरनचन्द मुस0चन्दीपत्नी ज्वाला नाथ भी फौत हो चुके हैं । जिसके एक मात्र वारिसान केशवचन्द पुत्र रघुनाथ है । जवाहरी नाथ भी फौत हो चुका है । जिसका एक मात्र वारिस खिल्लू पुत्र जवाहरी नाथ है । आराजी मुतदाविया प्रतिवादीगण असल के पूर्वजों के कब्जेकाश्त खातेदारी की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

आराजी थी । जिसके प्रतिवादीगण असल व उसके पूर्वजों ने अर्सा करीब 42 साल पूर्व लगान की एक मुश्त राशि लेकर सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा वादी को हमेशा हमेशा के लिये काश्त करने को बता दी तभी से वादी आज तक आराजी मुतनाजा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण ने अपना अधिकार आज से करीब 42 साल पूर्व ही तर्क कर लिया तत्पश्चात आज तक वादी ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी गण ने अपना अधिकार आज से 42 साल पूर्व ही तर्क कर लिया तत्पश्चात आज तक वादी ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता चला आ रहा है । और आज भी मौके पर आराजी मुतनाजा पर वादीका ही कब्जा व काश्त है । वादी को आराजी मुत0 की बावत मुताबिक कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु दिनांक 28.5.2022 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर जानीकारी हुई । आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार अंकित नहीं किया गया है । कैलाश पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/40 सुनील जिलेसिंह पुत्र रामजीलाल, रामवती पत्नि रामजीलाल सावित्री–सुनीता जिलेसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/40, रूपकिशोर देवेन्द्रपिसरान गिरधारी 1/5– 1–5 केशवच न्द पुत्र रघुनाथ 6/15 टिंकू –मुकेश–सुरेशपुत्रगण तुल्लाराम , सुनीता पुत्री तुल्लाराम लीलादेवी पत्नी तुल्लीराम हिस्सा 5/100खिल्लू, पुत्र जवाहरीनाथ हिस्सा 1/10 पर खातेदार के रूप में अंकित किया जा रहा है उक्त इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कतई गलत खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व कब्जा है जिसके कायम रहने से वादी का सख्त हक तलफी है । इसलिए वादी अपने आपको आराजी मुतनाजा पर राजस्व रिकार्ड में वाहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है एवं प्रतिवादी के नाम इन्द्राज कलमजन कराने का अधिकारी है । अतः बादी को आ0ख0नं0 355 रकवा 0.12 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर आ0मुत0 के सम्बन्ध में जो इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जा रहा है । उसे कलमजन कर वादी के नाम वहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की इजाजत फरमाई जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण नं0 1,2,4,5,6,10,11,12, 13,14 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये । जबाव के लिए समय चाहा । प्रतिवादी नं. 3,7,8,9,15, 11, 15 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एक्सपार्टी की गयी । प्रतिवादी कैलाश पुत्र हीरानाथ, सुनील पुत्र रामजीलाल, रामवती पत्नि रामजीलाल, सावित्री सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल, रिंकू उर्फ टिकूं पुत्र तुलाराम , मुकेश सुरेश पिसरान तुलाराम सुनिता पुत्री तुलाराम लीलादेवी पत्नि तुलाराम जाति जोगी निवासी जुरहरा ने जरिये अधिवक्ता एक जबाव पेश किया कि खसरा नम्बर 355/0.12 एवं पूर्व पुराने खसरा नम्बर 2256/0.16, 2259/0.12 को जो दो नम्बर थे आपस में सटे हुये है कि आज से लगभग 42 साल पूर्व ही हमारे बुर्जुगान ने वादी को एक मुश्त राशि लेकर दे दिया था । तभी से वादी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । पूर्व में भी पूरन द्वारा एक मुकदमा पूरनसिंह बनाम खिल्लू वगैराह के उनवान से पेश किया था जिसको न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 31.7.2001 को डिकी कर दिया जिसमें खसरा नम्बर 2256/0.'16 को वादी के नाम कर दिया । लेकिन सहवन भूल से आराजी खसरा नम्बर 2259/0.16 रकवा रह गया लेकिन तभी से वादी ही निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से लगभग 42 वर्ष पूर्व से ही कोई सम्बन्ध नहीं है । ना ही इस वक्त है क्योंकि मौके पर आज भी वादी का कब्जा व काश्त है । पूर्व खसरा नम्बर व वर्तमान खसरा नम्ब आपस में मिले हुये हैं । क्योंकि हमारे पूर्वज ही वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 355/0.12को दिये थे । इकबाल जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाता है तो हमें कि प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

वादी ने दावा के समर्थन में नकल फैसला दिनांक 31.7.2001, नकल जमाबन्दी सं0 2074–2 नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सं0 2069–2072खाता सं0 296, नकल जमाबन्दी सं0 2069–2072 खाता खाता सं.149 व 150 पेश किया गया है ।

वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में द लिखित तथ्यों को दोहराया । तथा बहस में कहा कि प्रतिवादीगण असल व उसके पूर्वजों ने अर्सा क साल पूर्व लगान की एक मुश्त राशि लेकर सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा वादी को हमेशा हमेशा के लिये करने को बता दी तभी से वादी आज तक आराजी मुतनाजा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध न

कोई सम्बन्ध नही है । प्रतिवादी गण ने अपना अधिकार आज से 42 साल पूर्व ही तर्क कर लिया तत्पश्चात आज तक वादी ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता चला आ रहा है । और आज भी मौके पर आराजी मुतनाजा पर वादीका ही कब्जा व काश्त है । वादी को आराजी मुत0 की बाबत मुताबिक कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और वादी को राजस्व रिकार्ड मे खातेदार अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु दिनाक 28.5.2022 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर जानीकारी हुई । आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड मे वादी को खातेदार अंकित नही किया गया है । कैलाश पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/40 सुनील जिलेसिंह पुत्र रामजीलाल, रामवती पत्नि रामजीलाल सावित्री-सुनीता जिलेसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/40, रूपकिशोर देवेन्दपिसरान गिरधारी 1/5- 1 5 केशवच न्द पुत्र रघुनाथ 6/15 रिंकू -मुकेश-सुरेशपुत्रगण तुल्लाराम सुनीता पुत्री तुल्लाराम लीलादेवी पत्नी तुल्लीराम हिस्सा 5/100खिल्लू पुत्र जवाहरीनाथ हिस्सा 1/10 पर खातेदार के रूप मे अंकित किया जा रहा है उक्त इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा है जिसके कायम रहने से वादी का सख्त हक तल्फी है । इसलिए वादी अपने आपको आराजी मुतनाजा पर राजस्व रिकार्ड मे बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है एव प्रतिवादी के नाम इन्द्राज कलमजन कराने का अधिकारी है । वादी को आ0ख0न0 355 रकवा 0.12 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामा पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर आ0मुत0 के सम्बन्ध मे जो इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जा रहा है । उसे कलमजन कर वादी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की इजाजत फरमाई जावे । प्रतिवादीगण की ओर से जबाव पेश किया कि प्रतिवादी न. 3,7,8,9,15, 11, 15 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एक्सपार्टी की गयी । प्रतिवादी कैलाश पुत्र हीरानाथ, सुनील पुत्र रामजीलाल, रामवती पत्नि रामजीलाल, सावित्री सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल, रिंकू उर्फ टिकूं पुत्र तुलाराम , मुकेश सुरेश पिसरान तुलाराम सुनिता पुत्री तुलाराम लीलादेवी पत्नि तुलाराम जाति जोगी निवासी जुरहरा ने जरिये अधिवक्ता एक जबाव पेश किया कि खसरा नम्बर 355/0.12 एवं पूर्व पुराने खसरा नम्बर 2256/0.16, 2259/0.12 को जो दो नम्बर थे आपस में सटे हुये है कि आज से लगभग 42 साल पूर्व ही हमारे बुर्जुगान ने वादी को एक मुश्त राशि लेकर दे दिया था । तभी से वादी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । पूर्व में भी पूरन द्वारा एक मुकदमा पूरनसिंह बनाम खिल्लू वगैराह के उनवान से पेश किया था जिसको न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 31.7.2001 को डिकी कर दिया जिसमें खसरा नम्बर 2256/0.'16 को वादी के नाम कर दिया । लेकिन सहवन भूल से आराजी खसरा नम्बर 2259/0.16 रकवा रह गया लेकिन तभी से वादी ही निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से लगभग 42 वर्ष पूर्व से ही कोई सम्बन्ध नहीं है । ना ही इस वक्त है क्योंकि मौके पर आज भी वादी का कब्जा व काश्त है । पूर्व खसरा नम्बर व वर्तमान खसरा नम्बर आपस में मिले हुये हैं । क्योंकि हमारे पूर्वज ही वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 355/0.12को दे दिये थे । इकबाल जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा उपलब्ध दस्तावेज एवं जबाव का मनन किया । प्रतिवादीगण ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि कैलाश पुत्र हीरानाथ, सुनील पुत्र रामजीलाल, रामवती पत्नि रामजीलाल, सावित्री सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल, रिंकू उर्फ टिकूं पुत्र तुलाराम , मुकेश सुरेश पिसरान तुलाराम सुनिता पुत्री तुलाराम लीलादेवी पत्नि तुलाराम जाति जोगी निवासी जुरहरा ने खसरा नम्बर 355/0.12 एवं पूर्व पुराने खसरा नम्बर 2256/0.16, 2259/0.12 को जो दो नम्बर थे आपस में सटे हुये है कि आज से लगभग 42 साल पूर्व ही हमारे बुर्जुगान ने वादी को एक मुश्त राशि लेकर दे दिया था । तभी से वादी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । पूर्व में भी पूरन द्वारा एक मुकदमा पूरनसिंह बनाम खिल्लू वगैराह के उनवान से पेश किया था जिसको न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 31.7.2001 को डिकी कर दिया जिसमें खसरा नम्बर 2256/0.'16 को वादी के नाम कर दिया । लेकिन सहवन भूल से आराजी खसरा नम्बर 2259/0.16 रकवा रह गया लेकिन तभी से वादी ही निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से लगभग 42 वर्ष पूर्व से ही कोई सम्बन्ध नहीं है । ना ही इस वक्त है क्योंकि मौके पर आज भी वादी का कब्जा व काश्त है । पूर्व खसरा नम्बर व वर्तमान खसरा नम्बर आपस में मिले हुये हैं । क्योंकि हमारे पूर्वज ही वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 355/0.12को दे दिये थे । इकबाल जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 355 रकवा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय पर वादी का कब्जा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुत0 को पूर्व में एक मुश्त राशि लेकर वादी को दे दिया था । तभी से इस पर बादी का कब्जा है । खसरा नम्बर 355 रकवा 0.12 हैक्टर

को वादी को डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है । प्रतिवादीगण के हो रहे इन्द्राज का कलमजन किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 90 के तहत आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.12 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां को वादी के नाम डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का हो रहा राजस्व रिकार्ड इन्द्राज को कलमजन किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)